न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

दायरा दिनांक 08.08.2023

प्रकरण संख्या 06/23

पीठासीन अधिकारी – सुश्री पूजा मीणा (आर.ए.एस.)

शिवनारायण बैष्णव पुत्र मंगलदास उम्र 65 वर्ष जाति बैरागी निवासी ढिकवानी तहसील शाहाबाद जिला बांरा राजस्थान

–अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत महोदरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत महोदरा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहावाद

–रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरण नंबर 383 दिनांक 08.07.1983 ग्राम ढिकवानी अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक – 12.10.2023

उपस्थित– अपीलाण्ट की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
रेस्पो. की ओर से – एकपक्षीय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट का नाम शिवनारायण बैष्णव है लेकिन अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का नाम शिवजीदास दर्ज कर दिया शिवजीदास नाम गलत दर्ज होने से अपीलाण्ट को अपनी भूमि के सम्बन्ध में संव्यवहार करने में परेशानी का सामना करना पड रहा पडता है अपीलाण्ट के आधारकार्ड राशनकार्ड राजकीय सेवा रिकार्ड में नाम शिवनारायण है केवल नामान्तरकरण में गलत नाम दर्ज कर दिये जाने से भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी गिरदावरी में गलत नाम अंकन है। उपरोक्त प्रकार से गलत नाम दर्ज होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण अवैध होकर निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत नाम से दर्ज होने से निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट के सही नाम शिवनारायण बैष्णव के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करने को रेस्पो. कंम 2 को आदेशित फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। रेस्पो. के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता को सुना गया। प्रश्नगत नामान्तरकरण शिवजीदास के नाम से खोल तस्दीक किया गया है, जबकि संलग्न दस्तावेजों में शिवनारायण बैष्णव दर्ज है।

अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तरकरण नंबर 383 ग्राम ढिकवानी दिनांक 08.07.1983 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्ट के नाम के बावत भलिभांति जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलाशुमार [illegible] दाखिल दफ्तर हो।।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.02.28 15:48:18 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner